

संस्थान में ठेकेदारी हेतु पंजीकरण सम्बन्धी सूचना

इस संस्थान के अल्मोड़ा एवं हवालबाग परिसरों के छोटे-छोटे मरम्मत कार्यों (Petty work / Minor work) को को सम्पादित हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से जिनके पास पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में लगातार आयकर रिटर्न भरा हो, केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों में 5 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव हो, तथा पिछले दो वर्ष के दौरान सरकारी विभागों में कम से कम 30.00 लाख का कार्य किया हो, से संस्थान में ठेकेदारी के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकरण हेतु रू0 10,000 (रूपये दस हजार मात्र) की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो निदेशक, भाकृअनुप-विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा के पक्ष में देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त में किसी विभाग में वैध पंजीकरण की सत्यापित प्रति, जीएसटी पंजीकरण, पैन कार्ड, पिछले तीन वर्षों आयकर रिटर्न की प्रतियां एवं पिछले दो वर्ष में सरकारी विभागों में कम से कम 30.00 लाख का कार्य करने का प्रमाण पत्र करना अनिवार्य होगा। इन अभिलेखों के बिना पंजीकरण किया जाना सम्भव नहीं होगा। आवेदन कर्ता को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। यदि पंजीकरण के उपरांत यह पाया जाता है कि किसी विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है तो पंजीकरण के साथ-साथ संस्थान में उनके द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य आदि को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार की भरपाई नहीं की जाएगी। इच्छुक ठेकेदारों को दिनांक 13.08.2024 तक अपना आवेदन पत्र अनिवार्य रूप संस्थान में जमा करना होगा। इसके उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिसके बाहर 'ठेकेदारी के लिए आवेदन पत्र' लिखा हो तथा निदेशक, भाकृअनुप-विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा को संबोधित होना चाहिए। आवेदन पत्र 'पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट' या साधारण डाक से भेज सकते हैं। परन्तु डाक की देरी के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा तथा निर्धारण तिथी के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अभिलेखों की जाँच कर चयनित ठेकेदारों से निविदाएं प्राप्त की जाएगी तथा प्राप्त न्यूनतम दरों पर कार्य सम्पादित किया जाएगा। पंजीकरण की वैधता कम से कम एक वर्ष की होगी। पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट www.vpkas.icar.gov.in में उपलब्ध है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी (आप0 एवं मैण्टी0)



ठेकेदारी के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

1. ठेकेदार का नाम :
2. पता :
3. जिस विभाग में पंजीकरण है उस
विभाग का नाम एवं पंजीकरण संख्या :
4. पैन कार्ड संख्या :
5. पिछले तीन वर्षों आयकर रिटर्न की प्रतियां :
6. जीएसटी पंजीकरण संख्या :
7. आधार कार्ड संख्या :
8. पंजीकरण शुल्क हेतु ड्राफ्ट संख्या एवं
धनराशि :
9. किसी सरकारी विभाग कार्य करने का
पिछले पांच वर्षों का अनुभव :
10. पिछले एक वर्ष में सरकारी विभागों में कम
से कम 30.00 लाख का कार्य करने का
प्रमाण पत्र :
11. पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी सरकारी विभाग
द्वारा किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही नहीं
किए जाने के सम्बन्धी शपथ पत्र
(नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर में) :

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी सही एवं प्रमाणित है यदि उपरोक्त में से कोई भी सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरा पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

नाम एवं हस्ताक्षर :

पूरा पता :

मोबाइल :

ई-मेल :

दिनांक :

स्थान :